जिले की महत्वूपर्ण समस्याऐं एवं उनके निराकरण हेतु वांछित कार्यवाही
(दिनांक 20 नवम्बर 2006)

1. **कैलादेवी मेला :** करौली जिले में प्रतिवर्ष चैत्र मास में कैलादेवी का मेला लगता है, जो एक माह तक लगातार चलता है। जिसमें उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि से लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते है। ग्राम पंचायत के पास संसाधनों की कमी के कारण मेले मे अव्यवस्था होती रहती है, जिससे प्रशासन को काफी परेशानी का सामना करता पडता है। अतः इस हेतु जिला प्रशासन को लगभग 10.00 लाख रू की राशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता है।

2. **कैलादेवी बस स्टैण्ड :** कैलादेवी बस स्टैण्ड हेतु भूमि के आवंटन प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाऍ जा चुके है । भूमि आवंटन हो जाने पर बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावेंगा।*(राज.रा.प.प.निगम ; राजस्व विभाग)*

3. **मण्डरायल सबलगढ पुल :** करौली जिला मध्यप्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है एंव दोनों जिलों के राज्यों से लोगों का काफी बडी संख्या में आवागमन पूरे वर्ष भर रहता है। क्षेत्र की जनता एंव जनप्रतिनिधियों की चम्बल नदी पर इस पुल को बनाये जाने की प्रमुख मॉग रही है । इस पुल की अनुमानित लागत रूपये 2859.00लाख प्रस्तावित किया गया है। पुल निर्माण के लिए हाईड्रोलिक सर्वे किया जाना प्रस्तावित है। *(सार्वजनिक निर्माण विभाग)*

4. **रहुधाट पन बिजली परियोजना :** रहुधाट पन बिजली परियोजना काफी लम्बे समय से चम्बल नदी पर प्रस्तावित है, परन्तु किन्ही कारणों से यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हो पाई है । यह स्थान उक्त परियोजना हेतु तकनीकी रूप से भी उपयुर्क्त बताया गया है । इस परियोजना के निर्माण के पश्चात् राजस्थान एंव मध्यप्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिलें की विद्युत समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकेगा।*(राजस्थान राज्य विधुत उत्पादन निगम लिमिटेड)*

5. **रेलवे पुल हिण्डौन :** उपखण्ड हिण्डौन मुख्यालय के कस्बे के मुख्य मार्ग से ब्रोडग्रेज रेलवे लाईन निकलती है यह मार्ग रेलवें का व्यस्ततम् मार्ग हे एंव 24 धण्टे में से 10 धण्टे से अधिक रेलवे फाटक बन्द रहता है जिसकी वजह से धार्मिक स्थल श्री महावीरजी मंदिर, मदनमोहन जी मंदिर करौली तथा कैलादेवी मंदिर इत्यादि के दर्शनार्थी एवं आम लोगों को काफी कठनाईयों का सामना करना पडता है । रेलवे लाइन के उपर से ब्रिज बनाये जाने हेतु बाईपास का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, मात्र रेलवे लाईन के उपर ब्रिज वित्तीय अभाव के कारण अभी तक निर्मित नहीं हो पा रहा है। यह कार्य

अति शीघ्र पूर्ण कराया जाना आवश्यक है ताकि पूर्व में व्यय की गई राशि का लाभ भी आम लोगों को मिल सके। इस पुल की अनुमानित लागत रूपये 994.13 लाख है जो कि रेल्वे, नगरपालिका, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सामूहिक रूप से वहन की जा सकती है। *(सार्वजनिक निर्माण विभाग)*

6. **रेलवे लाईन** : करौली जिला मुख्यालय वर्तमान में किसी भी रेलवे लाइन से जुडा हुआ नहीं है। सरमुथरा – करौली – गंगापुर – दौसा ,ब्रोडग्रेज लाइन का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है एंव लाइन स्वीकृति हेतु कार्ययोजना केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है उक्त कार्य पूर्ण होने पर जिले का विकास काफी तीव्र गति से होना संभावित है ।*(सामान्य प्रशासन विभाग)*

7. **चॉदोर नदी पर पुल निर्माण :** हिण्डौन खरेटा सडक के मध्य चॉदोर नदी पडती है। यह नदी सडक के कि.मी. 8/200 से 8/700 में पडती है, जिसकी लम्बाई 500मीटर है। आस पास के गॉवों के लोगों को वर्षा के समय काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है तथा मार्ग अवरूद्व हो जाता है। इस नदी व सडक पर छोटा पुल निर्माण की आवश्यकता है जिसकी निर्माण लागत 85.00 रू होगी।

8. **ट्रांसपोर्ट नगर करौली** : करौली में वर्तमान में किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट नगर कार्यरत नहीं है एवं व्यवसायियों को द्वारा इसकी समय–समय पर मॉग की जाती रही है। करौली कस्बे के बाहर किसी प्रमुख स्थान पर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।*(नगर पालिका)*

9. **गंभीरी नदी एनीकट :** महावीर जी क्षेत्र के निवासियो द्वारा लम्बे समय से गंभीरी नदी पर महावीर जी के पास एनीकट बनाये जाने की मॉग की जाती रही है। इसका तकमीना सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जाकर राज्य सरकार को भेजा जा चुका है, आवश्यक स्वीकृति जारी किया जाना प्रस्तावित है।*(सिंचाई विभाग)*

10. **हिण्डौन बस स्टैण्ड :** हिण्डौन सिटी बस स्टैण्ड संबंधी विवाद को सुलझाये जाने हेतु नगरपालिका एवं हिण्डौन रोडवेज आगार के अधिकारियो से समझाईश की जा रही है। हिण्डौन बस स्टैण्ड हेतु विकास योजना तैयार की जाकर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है ताकि यात्रियों को सभी सुविधाएॅ मिल सकें।*(राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम)*

11. **आवासन मण्डल परियोजना :** जिले में आवासन मण्डल की आवासीय परियोजना हेतु मंडरायल रोड पर भूमि का चिन्हिकरण कर सैटअपार्ट कर दी गयी है। आवासन मंडल के अधिकारियों द्वारा

इस भूमि की एक कार्य योजना तैयार की जाकर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।*(राजस्थान आवासन मण्डल)*

12.**ग्रामीण हाट :** जिले में ग्रामीण हाट स्थापित किये जाने हेतु भूमि चिन्हित की जाकर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जा चुके है। भूमि आवंटन किये जाने पर ग्रामीण हाट की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।*(उद्योग विभाग)*

13.**स्टोन मार्ट :** जिला करौली में पत्थर का खनन काफी बडी मात्रा में होता है एवं इन पत्थरो की नक्काशी एवं कटाई का कार्य करौली जिले के बाहर किया जाता है । मांसलपुर कस्बे में स्टोन मार्ट स्थापित किये जाने हेतु भूमि का चिन्हिकरण कर आवंटन किया जा चुका है। इस स्थान पर उधोग विभाग के माध्यम से स्टोन मार्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।*(उद्योग विभाग)*

14.**चूलीदेह एवं दुर्गसी घटा सिंचाई परियोजना :** करौली शहर में पीने के पानी एवं सिंचाई के लिये चूलीदेह एवं दुर्दसी घटा परियोजना बनाई गई थी जिसे स्वीकृत कराया जाकर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।*(सिंचाई विभाग ; जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग)*

15.**बीडी उधोग :** जिले में तीन विभिन्न व्यवसायियो द्वारा करौली शहर में बीडी बनाने का उधोग चलाया जाता है। बीडी बनाने का कार्य पुराने करौली शहर की मुख्य कॉलोनियो में किया जाता है जिसकी वजह से काफी गंदगी रहती है, पत्तो की कतरनो की वजह से आये दिन शहर की नालियॅा भी बन्द हो जाती है जिसकी आम जन द्वारा समय–समय पर शिकायते की जाती रही है। शहर के बीडी उधोग को कस्बे के बाहर निकाला जाकर नवीन कृषि उपज मंडी की भूमि के आसपास स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।*(नगर पालिका)*

16.**डेयरी उधोग :** वर्तमान में जिले के सभी दुग्ध उत्पादक पशुपालक सवाईमाधोपुर डेयरी यूनियन से जुडे हुये है। डेयरी गतिविधियों को जिले में पूरी तरह से सक्रिय किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि करौली जिले की पृथक से डेयरी यूनियन बनाई जावें एवंम चिलिंग प्लाण्ट भी हिण्डौन अथवा करौली शहर में ही निर्मित किया जावें ताकि यहॅा के पशुपालको को उनके दुग्ध के उचित दाम मिल सकें। जिले में आरसीडीएफ के माध्यम से डेयरी कॉपरेटिव सोसायटी अधिक संख्या में बनाये जाने की आवश्यकता है।*(राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फैडरेशन)*

17.**देवस्थान व मंदिर माफी भूमि :** गत वर्षो में करौली शहर एवं करौली जिले के अन्य क्षेत्रो में मंदिर माफी/ देवस्थान की भूमि पर अवैध कब्जे कर लिये गये है । कुछ प्रकरणों में ट्रस्ट द्वारा ही

देवस्थान की भूमि का इकरारनामे के माध्यम से अवैध हस्तांतरण किया जा चुका है। इस संबध में शीघ्र ही प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। राजस्व नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव विभाग को भिजवाए जा चुके है।*(राजस्व विभाग ; देवस्थान विभाग)*

18. जिला कारागृह : वर्तमान में जिले के संवेदनशील बंदियों को सवाईमाधोपुर जिला कारागृह में रखा जाता है। करौली जिले में एक नवीन जिला कारागृह स्थापित किये जाने की आवश्यकता है जिस हेतु भूमि का चिन्हिकरण कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कारागृह निर्माण हेतु राशि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।*(गृह विभाग)*

19. तिमनगढ किले का संरक्षण : जिले की उप तहसील मांसलपुर में तिमन वंश का तिमनगढ किला स्थित है जिसकी गत वर्षो में आवश्यक सार–संभाल नहीं होने के कारण पुरा–सम्पदा का काफी नुकसान हो चुका है । तिमनगढ किले को संरक्षित घोषित किये जाने हेतु राज्य स्तर पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।*(कला एवं संस्कृति विभाग ; पर्यटन विभाग)*

20. जिले के अन्य किले : जिले में स्थित अन्य किले मंडरायल,सपोटरा,अमरगढ, आदि को संरक्षित किया जाकर इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।*(कला एवं संस्कृति विभाग ; पर्यटन विभाग)*

21. करौली शहर की सांस्कृतिक धरोहर : करौली शहर एवं शहर के आसपास कई प्रमुख सांस्कृतिक स्थल जैसे शाहीकुण्ड, रणगम्मा तालाब, हरसुख विलास, भंवर विलास स्थित है जिनके विकास हेतु एक परियोजना तैयार कर स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता है ताकि पर्यटन की दृष्टि से इनका विकास हो सकें।*(पर्यटन विभाग ; कला एवं संस्कृति विभाग)*

22. पर्यटन विकास परियोजना : जिला करौली में चार प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल स्थित है जिनकी ख्याति राज्य एवं राज्य के बाहर भी है। इन धार्मिक स्थलो यथा श्री महावीर जी, कैलादेवी, मदनमोहन जी एवं मेंहदीपुर बालाजी, की एक पृथक पर्यटन विकास की परियोजना बनाई जाना प्रस्तावित है, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटको एवं दर्शनार्थियो को चारो स्थानो की सम्पूर्ण जानकारी इकजाई प्राप्त हो सकें। इस परियोजना के द्वितीय भाग में करौली शहर के पर्यटन स्थल एवंम जिले के अन्य किले एवं स्मारको को भी पर्यटन विकास की दृष्टि से सम्मिलित किया जा सकता है।*(पर्यटन विभाग ; कला एवं संस्कृति विभाग)*

23.<u>अवैद्य खनन :</u> जिले में पत्थर का खनन काफी बडे पैमाने पर किया जाता है। अवैध खनन की शिकायते राजस्व भूमि एवं वन भूमि दोनों पर किए जाने की प्राप्त होती रहती है। खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत लीजो पर विभागीय निर्देशानुसार अभी तक भी पिलर कायम नहीं किये गये है इस वजह से अवैद्य खनन रोका जाना कठिन है। विभागीय अधिकारीयों द्वारा नियत समयावधि में यह कार्य पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। खनन विभाग द्वारा यह कार्य गत माह में प्रारम्भ कर दिया गया है एवं जिला प्रशासन द्वारा इसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है। *(खनन विभाग ; वन विभाग ; राजस्व विभाग)*

24.<u>पत्थर दस्तकारी कार्य :</u> जिले में बडी संख्या में ऐसे कुशल कारीगर है जो कि जिले में निकलने वाले पत्थरो पर नक्काशी एवं कटाई का कार्य करते है। इन सभी कारीगरो की सूची तैयार की जा चुकी है। रूडा के माध्यम से इन कारीगरो को आधारभूत सुविधाऍ उपलब्ध कराई जानी है ताकि यह अपनी कुशलता का उपयोग कर उचित मजदूरी प्राप्त कर सकें। रूडा के माध्यम से इन्हें निर्यात के ऑर्डर भी दिलवाया जाना प्रस्तावित है। *(उद्योग विभाग)*

25.<u>बीहड क्षेत्र विकास (दस्यु उन्मूलन) :</u> करौली जिले का अधिकांश डांग क्षेत्र चम्बल बीहड के रूप में विख्यात है। इस क्षेत्र में बडे पैमाने पर खनन कार्य भी होता है। यह क्षेत्र लम्बे समय से दस्यु प्रभावित रहा है। नवीन जिला गठित होने के पश्चात दस्यु उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत इस समस्या से काफी हद तक निजात पा ली गई है एवं वर्तमान में भी जिला पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में अधिक चौकसी बरती जाकर आम जन को राहत उपलब्ध करायी जा रही है परन्तु फिर भी इस क्षेत्र में सतत कार्य किया जाना आवश्यक है।*(जिला प्रंशासन एवं पुलिस)*

26.<u>जल संरक्षण कार्य :</u> डांग क्षेत्र में ऐसे अनेक स्थान है जहॉ पर जल संरक्षण का कार्य प्रभावी रूप से किया जा सकता है । ऐसे स्थानो का चिन्हिकरण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। *(जिला परिषद् ; सिंचाई ; भू संरक्षण विभाग)*

27.<u>पान की खेती :</u> जिले में मांसलपुर एवं गढमोरा क्षेत्र के आसपास पान की खेती बडे पैमाने पर की जाती है । मांसलपुर क्षेत्र का पान बाहर के राज्यो में काफी प्रसिद्व है। इस व्यवसाय को कृषि विभाग के माध्यम से सुदृढ किये जाने की आवश्यकता है।*(कृषि विभाग)*

28. <u>नेशनल हाईवे :</u> जिले में नेशनल हाईवे करौली से हिण्डौन तक की सडक काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तथा नेशनल हाईवे का कोई कार्यालय करौली जिले में स्थापित नहीं होने के कारण

नेशनल हाईवे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सडक में टूट–फूट होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अतः नेशनल हाईवे करौली से हिण्डौन की मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है।

<><><>